

सेवा में

लोक सूचना अधिकारी (PIO)
पुलिस आयुक्त
पुलिस मुख्यालय
I.T.O दिल्ली - 110002

प्रश्न - श्रमिका के अधिकार अधिनियम 1947 के अनुसार में जहाँ विधे में
अन्वयार्थ पर के आधार पर की गयी कार्यवाही की जानकारी
के सम्बन्ध में।

जवाब - मैं द्वारा आपका लिखित प्रश्न क्रमांक 2794
दिनांक 28-03-2017 पुलिस वालों के द्वारा बिना किसी कारण के, किये जा
रहे हैं। के सम्बन्ध में आपकी एक लिखित शिकायत से कार्यवाही की गयी।
आपकी सम्बन्ध में जानकारी स्पष्ट रूप से विवरण के साथ प्रदान करे। आदि
प्रमाणों के आधार पर शक में जहाँ 50 पुलिस वालों को एक
कालेजों के साथ जोड़ी जाये (मोबिलिटी) पुलिस अधिकारी के द्वारा
प्रमाणित है इसकी द्वारा प्रमाणित करण/अपराध सहित प्रदान करे।

मैं द्वारा ICPC के पर के कर कार्य की गयी है, उसके बाद फिर
जो शिकायत आयी फिर भी PCR वालों के द्वारा कोई कार्यवाही
की नहीं की गयी। इसका भी कारण सहित उत्तर प्रदान करे।

आपका अधिकारी

Suman
शिकायती

सूचक संख्या 881317
दिनांक 25/07/17

श्रीमती - सुमन
पत्नी श्री लक्ष्मी शर्मा
निवासी मकान - 81
अंगोलपुर खुर्द, दिल्ली - 110002
मोबा - 9810000000

संलग्निकाएँ -

1 - IPO No. 38F 149547

2 - उपरोक्त सम्बन्धित शिकायत का प्रमाणित करण/अपराध सहित प्रदान करे।
3 - आपकी एक लिखित शिकायत को प्रमाणित करण/अपराध सहित प्रदान करे।